

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम, जयपुर-302015)

टेलीफैक्स : 0141-2222403 ईमेल: dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एस्टे/एम./एफ.10(DPC)(72)आरएमएस(टी)/डीएलबी/2019/2008 दिनांक : 30/06/2023

-:: परिपत्र ::-

विषय : वर्ष 2023-23 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अचल सम्पत्त का विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करने बाबत।

कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑन लाईन भरे जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 तक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑफ लाईन स्वीकार किये गये है, परन्तु वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑन लाईन ही स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इसके बावजूद भी राज्य की निकायों में कार्यरत प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अचल सम्पत्ति का विवरण ऑफ लाईन प्रस्तुत किये जा रहे है, जो स्वीकार योग्य नहीं होने से अनुभाग द्वारा संबंधितों को वापस लौटाया जाकर ऑन लाईन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसके बावजूद भी कतिपय प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों द्वारा डाक के माध्यम से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (ACR) एवं अचल सम्पत्ति का विवरण (IPR) ऑफ लाईन ही विभाग को भिजवाये जा रहे है, जो कि स्वीकार योग्य नहीं है।

इस सम्बन्ध में लेख है कि वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अचल सम्पत्ति का विवरण ऑन लाईन ही स्वीकार किये जावेंगे। अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (ACR) एवं अचल सम्पत्ति का विवरण (IPR) दिनांक 15.07.2023 तक अनिवार्य रूप से ऑन लाईन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(हर्ष शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक : 2009-227230/06/2023

क्रमांक : एस्टे/एम./एफ.10(DPC)(72)आरएमएस(टी)/डीएलबी/2019/  
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
04. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी. जयपुर।
05. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
06. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
07. सिस्टम कम एनालिस्ट, निदेशालय को विभाग की वेबसाईट पर उपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(चांद मल वर्मा)

अतिरिक्त निदेशक